(भारत के असाधारण राजपत्र के भाग I-खंड-I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1995
22 पौष, 1916

संकल्प

सं. 5(12)/संस्था-III /93, भारत सरकार ने निर्णय किया है कि इस मंत्रालय के दिनांक 9 अप्रैल, 1994 के समसंख्यक संकल्प में यथा-निहित पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों में, संकल्प के पैरा 2 (ङ) के नीचे एक नया पैरा 2 (च) जोड़कर निम्नप्रकार संशोधन किया जाएगाः—

2(च) : "अगर आयोग ऐसा महसूस करता है कि उसकी नियुक्ति की तारीख से 18 महीनों की अवधि के भीतर उसके लिए अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करना सम्भव नहीं हो पाएगा तो आयोग द्वारा अंतरिम राहत की एक और किस्त मंजूर करने तथा मंहगाई भत्ते के एक और हिस्से को वेतन के साथ मिलाने (केवल ग्रेच्युटी के प्रयोजन के लिए) के बारे में संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की राष्ट्रीय परिषद् के कर्मचारी पक्ष की मांगों पर विचार किया जाए और उस पर अपनी रिपोर्ट दी जाए।

पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा इन मांगों पर विचार करते समय, सितम्बर, 1993 में सरकार द्वारा पहले ही मंजूर की जा चुकी अंतरिम राहत तथा मंहगाई भत्ते के 20 प्रतिशत को केवल ग्रेच्युटी के प्रयोजन हेतु वेतन के साथ मिलाने संबंधी तथ्य को हिसाब में लिया जाए"।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग को भेज दी जाए।

यह आदेश भी दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों और अन्य सभी सम्बन्धितों को भेज दी जाए।

क. वेंकटेसन

(क. वेंकटेसन)
सचिव, भारत सरकार